न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा जिला–चित्तौडगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – **रामसुख गुर्जर**, RAS उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

==

प्रार्थना पत्र –06 / 2021

अनवान

भंवरी बाई पत्नी स्व0 गोलूराम जाति भील उम्र 68 वर्ष निवासी जावराखुर्द प0ह0 बाडोलिया तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ

प्रार्थीया

बनाम

श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा जिला चितौडगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक –09.03.2021

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने विपक्षी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के तहत दिनांक 17.02.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के कब्जेकाश्त की आराजीयात ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाडोलिया में स्थित है, जिसके आराजी नंबर 202, 203 रकबा 1.32 है0 सहखातेदारी में भोलूराम पिता नानकिया भील हिस्सा 1/3 दर्ज रिकोर्ड है तथा प्रार्थीया के पति की मृत्यु दिनांक 13.03.2014 को हो गई थी तथा जमाबन्दी में प्रार्थीया के पति का नाम गोलूराम पिता नानक के बजाय गलती से भोलूराम पिता नानकिया लिखा होने से विरासत का इन्तकाल भी नहीं खुल सका था। जिसे प्रार्थीया सही करा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराने की अधिकारिणी हैं। अन्त में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीया के खातेदारी की आराजी संख्या 202, 203 रकबा 1.32 है0 सहखातेदारी में राजस्व रिकार्ड में भोलूराम पिता नानकिया जाति भील के बजाय गोलूराम पिता नानक जाति भील दर्ज करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार रावतभाटा से प्रार्थना पत्र पर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई जिस पर तहसीलदार रावतभाटा ने NO-OBJECTION प्रस्तुत किया। हमने प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, शपथ पत्र स्टाम्प पर व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया।

...............................लगातार

प्रार्थीया द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत ग्राम जावराखुर्द प0 ह0 बाडोलिया की साबिक जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 में खाता संख्या 107 खसरा संख्या 202,203 रकबा 1.32 है0 सहखातेदारी में नाम कृषक में भोलूराम पिता नानकिया भील का अंकन है, प्रार्थीया नवीन जमाबन्दी में अपने पति के नाम में दस्तावेज के आधार पर गोलूराम पिता नानक भील का अंकन करा संशोधन कराना चाहती हैं। दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती का स्वीकार किया जाकर ग्राम जावराखुर्द प0ह0 बाडोलिया की नवीन जमाबन्दी संवत 2076 से 2079 में खाता संख्या 125 खसरा संख्या 202, 203 रकबा 1.32 है0 सहखातेदारी हिस्सा 1/3 में अंकित खातेदार भोलूराम पिता नानकिया भील के बजाय गोलूराम पिता नानक भील करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
पीठासीन अधिकारी उपखंड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर रावतभाटा